झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 05 / विविध–14–99 / 2019– 04/20-21 प० स्वी /राँची, दिनांक 10.11.2020

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आन्तिरक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के दिनांक 01.04.2020 से 30.12.2020 तक पारिश्रमिक भुगतान हेतु रू० 30.132 लाख (रूपये तीस लाख तेरह हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत 12 अदद् डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के लिये प्रत्येक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को रू० 28,000/– प्रति माह के दर से दिनांक 01.04.2020 से 30.12.2020 तक की अवधि के लिये पारिश्रमिक भुगतान हेतु कुल रू० 30.132 लाख (रूपये तीस लाख तेरह हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के भुगतान से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	मद		संख्या	राशि	अभियुक्ति
1	12 अदद् डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वित्तीय वर्ष 2020–21 के दिनांक 01.04.2020 से 30.12.2020 तक के भुगतान हेतु	विभागीय मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत	12	3013164	@ Rs. 28000/- per month for 8 months & @Rs. 27097/- for one month
Total				**3013164**	
		Say :		**Rs. 30.132 lakh**	

3. विभागीय पत्रांक–3949 दिनांक 22.09.2020 एवं पत्रांक– 4445 दिनांक 21.10.2020 द्वारा e-Governance के अन्तर्गत 12 अदद् डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को कार्य पर रखे जाने संबंधित आदेश संसूचित है।

4. इस कार्य पर होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –80 – सामान्य, लघु शीर्ष 796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष – 70 – ई–गर्वनेन्स विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59– अन्य व्यय" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. ई०–गर्वनेन्स मद (TSP) में वर्ष 2020–21 के स्वीकृत बजट उपबंध में निम्न बजटीय उपबंध है :–

शीर्ष 49S–4701–80–796–70–07–59 :– रू० 150.00 लाख

6. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।

9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

11. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

10/11/20

(प्रशांत कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 05/विविध–14–99/2019–04/20-21 पु० 2-ती० /राँची, दिनांक 10-11-2020

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/2020

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 05/विविध–14–99/2019– 04/20-21 पु० 2-ती० /राँची, दिनांक 10-11-2020

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/2020

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 05/विविध–14–99/2019– 04/20-21 पु० 2-ती० /राँची, दिनांक 10-11-2020

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/2020

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 05/विविध–14–99/2019– 04/20-21 पु० 2-ती० /राँची, दिनांक 10-11-2020

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेष निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/2020

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 05/विविध–14–99/2019– 04/20-21 पु० 2-ती० /राँची, दिनांक 10-11-2020

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/2020

(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

महालेखाकार, झारखण्ड/बिहार को संसूचित किये जाने वाले राज्यादेश के सम्बन्ध में जाँच पत्र

1.	विभाग का नाम	:	जल संसाधन विभाग
2.	संचिका संख्या	:	05/विविध–14–99/2019
3.	प्रस्ताव	:	e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के दिनांक 01.04.2020 से 30.12.2020 तक पारिश्रमिक भुगतान हेतु रू० 30.132 लाख (रूपये तीस लाख तेरह हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।
4.	प्रस्ताव स्वीकृत्यादेश द्वारा राजपत्रित पद का सृजन अथवा अवधि विस्तार किया गया अथवा नहीं यदि हाँ तो क्या दो प्रतियों में भेजी जा रही है।	:	नहीं
5.	प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई या नहीं	:	मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड सरकार की अधीसूचना ज्ञापांक–सी०एस०–02/आर०–01/2005–301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा स्वीकृत।
6.	वित्त विभाग में प्रस्ताव में सहमति प्रदान करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं दिनांक	:	
7.	महालेखाकार, झारखण्ड/बिहार को संसूचित किये जाने वाले पत्र की संख्या एवं तिथि	:	
8.	यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका 1 से 7 तक में दिये गये विवरण ठीक है एवं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश इसके पूर्व संसूचित करने हेतु वित्त विभाग को नहीं भेजा गया है।		

10/11/20

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग

नोट :– उपसचिव के स्तर के पदाधिकारी से नीचे स्तर के पदाधिकारी का हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु चेक लिस्ट :

1)	कार्य का नाम		:–	e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के दिनांक 01.04.2020 से 30.12.2020 तक पारिश्रमिक भुगतान हेतु।
2)	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि		:–	रू० 30.132 लाख
3)	प्रस्तावित विकलनीय बजट शीर्ष		:–	49S – 4701 – 80 – 796 – 70 – 07 – 59
4)	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये विकलनीय बजट शीर्ष में एकमुश्त प्रावधान		:–	रू० 150.00 लाख
5)	विकलनीय बजट शीर्ष में अद्यतन निर्गत आवंटन		:–	शून्य
6)	अवशेष बजट उपबंध		:–	रू० 150.00 लाख
7)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम		:–	कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र०, राँची
8)	नियंत्री पदाधिकारी का पदनाम		:–	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची।
9)	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार		:–	विभागीय सचिव
	(i)	विभागीय सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव	रू० 5.00 करोड़ तक	
	(ii)	विभागीय मंत्री	रू० 5.00 करोड़ से अधिक एवं रू० 15.00 करोड़ तक	
	(iii)	विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर योजना मंत्री	रू० 15.00 करोड़ से अधिक एवं रू० 25.00 करोड़ तक	
	(iv)	राज्य मंत्रिपरिषद्	रू० 25.00 करोड़ से अधिक	
10)	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजना / कार्य से लाभ		:–	विभागीय स्तर पर कार्यरत 12 अदद् डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का वेतन भुगतान।
11)	योजना पूर्ण किये जाने की अवधि (वर्ष)		:–	1 वर्ष
12)	क्या संलेख / स्वीकृत्यादेश प्रारूप में यथा निर्देशित अवयववार विवरणी अंकित है ?		:–	नहीं
13)	भूमि उपलब्धता विवरणी		:–	लागू नहीं
14)	यदि योजना में भू–अर्जन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख / स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है ?		:–	लागू नहीं
15)	यदि योजना में वन–भूमि अपयोजन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख / स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है ?		:–	लागू नहीं
16)	यदि योजना में सरकारी भूमि के हस्तानान्तरण की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख / स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है ?		:–	लागू नहीं

संलेख / स्वीकृत्यादेश तैयार करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर